प्रकरण संख्या - 219/22 अनवान परवीन कौर बनाम, सुरजा वगैरह

16-4-24 वादी द्वारा जरिए वकील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके पत्रावली वापस मंगवाई गई। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर मूल वाद को खारिज किया जाता है। मूल वाद के खारिज होने से सभी प्रकरण का कोई औचित्य शेष नहीं रहता है अतः सभी प्रकरण को भी खारिज किया जाता है। पत्रावली दफ्तर नियमानुसार होकर बाद तकमील फाइल दाखिल अभिलेखागार हो।

नीतिशा
जिला न्यायाधीश
जिला न्यायालय
जिला न्यायाधीश
कोर्ट ग्रामीण

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.30 10:45:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner